

फर्द अहकाम  
 न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर  
 हनुमान बनाम सुमन शर्मा वगै०

केस संख्या : प्रा.पत्र 88 / 2025

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
04 $\frac{08}{25}$		पत्रावली उत्तुत/व.फ.उप./ अग्रणी संख्या 2 की कोर्स जवाब - प्र.पत्र पेश हुआ तथा फताफत सूच फा की/ वाम्ने बहत प्रिण्ट 08 $\frac{08}{25}$ को पेश है।	
8 $\frac{6}{25}$		पत्रावली पेश हुई। व.फ.उप., पत्रावली सांि आदेश..... अनुसार आगामी ..... 12/8/25 ..... को पेश है।	
12 $\frac{8}{25}$		पत्रावली उत्तुत/व.फ.उप./ उपपत्र की बहत चुनी गई। उत्तुत तर्की, फताफतात के आधा पर प्र.पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलिंग को पोषक किया गया है कि वे विवादित कारगी पा फाके एवं बिको की प्रत्यास्थित बने रहे। विस्तृत निर्णय सुपुत्र से लिखा गया। पत्रावली फेसब शुमाट होकर फाबिल फता है।	सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर



न्यायालय :- सहायक कलक्टर आमेर,  
मुख्यालय जयपुर (राज.)  
पीठासीन अधिकारी: सुमन चौधरी  
आर.ए.एस.



प्रार्थना पत्र संख्या- 88/2025

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक 10.07.2025

हनुमान पुत्र नाथू जाति जाट निवासी ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।  
.....प्रार्थी

बनाम

1. सुमन शर्मा पत्नी सुनील शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी प्लाट नम्बर एफ-36 ईडन गार्डन ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक रामपुरा डाबडी, तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 12.08.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि राजस्व ग्राम राजावास, पटवार क्षेत्र नांगल सिरस, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 311 पुराना 279 के खसरा नम्बर 191 रकबा 0.3700 हैक्टेयर कल किता 1 कुल रकबा 0.3700 हैक्टेयर स्थित है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 13/74 निहित तथा हिस्सा अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित चला आ रहा हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सह-हिस्सेदार सह-खातेदार दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2074-2077 में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज है और राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने-अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज काश्त निरन्तर चलें आ रहें है और अपने-अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करतें आ रहें हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। एतदपश्चात प्रार्थना पत्र की मद नंबर 2 में वर्णित अप्रार्थीगण के पूर्ण खसरान की को "विवादित भूमि" शब्द से संबोधित किया जा रहा है। अब चूँकि वाद अधीन भूमि के बजारू दर में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है इसलिये अप्रार्थीगण की नियत में खोटा आ गई है और वे विवादित भूमि का बिना विधिक विभाजन करवाये बिना ही संयुक्त खातेदारी की विवादित भूमि के विशेष भू-भाग पर कब्जा करके पुख्ता पक्का निर्माण करने, विशेष भू-भाग को विक्रय हस्तान्तरण इत्यादि करने की अनुचित व विधि विरुद्ध मंशा रखने लग गये और

*Bm*  
सहायक कलक्टर  
आमेर प्र. जयपुर



मौके पर भू-माफिया गिरोह के व्यक्तियों को 'लाकर' विवादित भूमि के विशेष भू-भाग की ओर ईशारा करते हुए भूमि विक्रय करने की वार्तालाप करते हैं। जबकि उनको ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। चूँकि दिनांक 05-07-2025 को अप्रार्थीगण विवादित भूमि के विशेष भू-भाग पर बाहुबल के आधार पर कब्जा करने एवं पुख्ता पक्का निर्माण कार्य करने के कुत्सित उद्देश्य से मौके पर पत्थर डालना प्रारम्भ कर दिया अप्रार्थीगण की उक्त हरकत गैर कानूनी एवं विधि विरुद्ध है एवं विधि, उसको ऐसा करने से निषेद्ध करती हैं। चूँकि विवादित भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये विवादित भूमि के प्रत्येक इन्च भाग पर प्रार्थी का कब्जा सह-हिस्सेदारान की हैसियत से कानूनन चला आ रहा है। अप्रार्थीगणों ने प्रार्थी के खिलाफ साजिश एवं साज-बाज कर रखी है और विवादित भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन करवाये बिना ही विवादित भूमि के विशेष भू-भाग पर बाहुबल के आधार पर कब्जा करने, भूमि का कृषि से अकृषि में उपयोग उपभोग करने पर आमादा है इसलिये प्रार्थी के अधिकार को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। बिनायदावा अन्तिम रूप से दिनांक 05-07-2025 को तब पैदा हुआ जब अप्रार्थीगण ने बिना विधिक विभाजन करवाये ही प्रार्थी को विवादित भूमि से बाहुबल के आधार पर बेदखल करने, विवादित भूमि के विशेष भू-भाग पर बाहुबल के आधार पर कब्जा करके कृषि से अकृषि में उपयोग करने हेतु पुख्ता निर्माण करने तथा विशेष भू-भाग को विक्रय हस्तान्तरण करके खुर्द-बुर्द करने की एलानियाँ धमकी दी, जो निरन्तर जारी हैं। उक्त विवाद को रोकने के लिए अप्रार्थीगण को पुख्ता निर्माण नहीं करने और राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनायीं रखने के आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित अनुसार प्रार्थी द्वारा गलत व मिथ्या कथनों के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत करना स्वीकार है परन्तु उसमें सफलता की आशा कल्पना मात्र हैं। मद संख्या 3 में वर्णित कथन जिस प्रकार से लिखे गये हैं कि उपरोक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की सह-हिस्सेदारी, सहखातेदारी में दर्ज हैं तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 अपने-अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त होना स्वीकार हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 191/74 का 0.37 हैक्टेयर भूमि में से अप्रार्थी संख्या द्वारा 61/74 हिस्सा प्रार्थी के परिवारजन से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कय किया गया तथा कय दिनांक को ही उक्त भूमि के सहखातेदार / विक्रेताओं द्वारा बेचान की गई भूमि का मौके पर कब्जा प्रार्थी की सहमति से अप्रार्थी उसकी संख्या 1 को खातेदारी कब्जे काश्त की अन्य भूमि खसरा नम्बर 182 में निहित उसके कब्जे


अनुसार  
सहायक कलक्टर  
आमेर प्र. अ. अ. अ.



हिस्से की भूमि के पश्चिम दिशा में मौके पर सम्भलया गया, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उसी समय उक्त खसरा नम्बर 191 में निहित अपने हिस्से की भूमि 0.305 हैक्टेयर भूमि पर चार फीट उचाई का पुख्ता डन्डे / बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कर, उपयोग उपभोग करती चुली आ रही है अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि की सहखातेदार काशतकार है जिसको कानूनन किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थी कतई भी पाबंद करवाने का अधिकारी नहीं है कानूनन सहखातेदारी की भूमि के सम्बन्ध में एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को कतई पाबंद करवाने का अधिकारी नहीं हैं। यदि अप्रार्थी संख्या 1 को किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अपूर्तनीय क्षति अप्रार्थी संख्या 1 को होगी ना की प्रार्थी को होगी। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाने की कपा करे।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। भूमि अविभाजित है यदि अविभाजित भूमि के विशिष्ट भू-भाग को खुरद फुर्द किया जाता है तो वाद बाहुल्यात बडेगी। जिससे प्रथमदृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। जिसमें प्रार्थी का प्रथम दृष्टतया हित निहित है अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने में सुविधा का संतुलन है वाद के विचाराधीन रहते हुए अप्रार्थी द्वारा वाद ग्रस्त भूमि पर निर्माण, बेचान किये जाने की स्थिति में अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी को होने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2016(2) आर. आर. टी. पेज 1084 में माननीय राजस्व मंडल द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि वाद के निस्तारण तक संपत्ति की सुरक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है। माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित उक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण के वाद पत्र का औचित्य समाप्त हो सकता है तथा अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है, इसलिए अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम राजावास, पटवार क्षेत्र नांगल सिरस, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 311 पुराना 279 के खसरा नम्बर 191 रकबा 0.3700 हैक्टेयर कल किता 1 कुल रकबा 0.3700 हैक्टेयर स्थित भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि का बेचान न करे, किसी प्रकार का कच्चा-पक्का निर्माण नहीं करे तथा मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
अमेर मु० जयपुर